मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
--::--

एफ क्रमांक 3-22/76/ 3/1 भोपाल, 462004 दिनांक 4 अगस्त, 1976
श्रावण 13, (1898)शक

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

विषय :- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों / विदेशी सरकारों के अधीन पदों पर भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति - विदेश नियुक्ति के दौरान उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बारे में ।

-0-0-

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों / विदेशी सरकारों के अधीन डेपुटेशन पर भेजे गए सरकारी कर्मचारी के इस्तीफे स्वीकार करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपने दिनांक 2 जून, 1976 के पत्र संख्या 7/18/76-एफ-ए-एस के व्दारा राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक अनुदेश भेजे है, उसकी प्रतिलिपि इस ज्ञापन के साथ भेजी जा रही है । आपसे अनुरोध है कि इस प्रकार के मामलों में भारत सरकार व्दारा निर्धारित नीति के अनुसार ही कार्रवाई की जाए । यदि आपके अधीन कोई अर्ध सरकारी संस्था, पब्लिक सेक्टर अण्डर टेकिंग या निकाय हो तो उन्हें भी इसी प्रकार की कार्य विधि पालन करने के संबंध में आवश्यक निदेश देने का कष्ट करें ।

(जी० वैकन्ना)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

संख्या 7/18/76-एफ ए एस
भारत सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय
कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली- 110001, दिनांक 2 जून, 1976

सेवा में,

मुख्य सचिव,
सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित क्षेत्रों को ।

विषय :- अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों / विदेशी सरकारों के अधीन पदों पर भारतीय कर्मचारियों की नियुक्ति-विदेश नियुक्ति के दौरान उनके इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बारे में ।

महोदय,

अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों / विदेशी सरकारों के अधीन डेपुटेशन पर नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में भारत सरकार की इस समय यह नीति है कि यदि वे विदेश नियुक्ति के दौरान अपनी सेवा से त्यागपत्र देना चाहें तो त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने से पहले उन्हें भारत लौटकर अपने पैतृक विभाग में अपना पद ग्रहण करना होता है । यह नीति इन कारणों से आवश्यक है : (1) — ताकि अधिकारी द्वारा विदेश में प्राप्त किए गए अनुभव का भारत में सदुपयोग हो सके । (2)— ताकि नियुक्ति के अवसरों के अधिकाधिक वितरण के हित में विदेश नियुक्तियों पर हम अपने अधिकारियों को बारी बारी से भेज सकें । और (3) — ताकि इस बात पर नियंत्रण रहे कि विदेश नियुक्ति के दौरान राष्ट्रीय हित के विपरीत विदेशों में नियुक्त भारतीय अधिकारी स्वार्थ-सिद्धी में ही न लगे रहें ।

2/ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह नीति नियमित रूप से अपनायी जा रही है । राज्य सरकारों और विभिन्न अर्द्ध सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी यह विभाग विदेश नियुक्तियों के लिए अधिकारियों को रिलीज कराते समय, राज्य सरकारों एवं नियुक्ति के लिए चुने गए अधिकारी को भी इस नीति के बारे में अवगत कराता रहता है । तथापि ऐसे मामले ध्यान में आए है जिनमें राज्य सरकारों ने विदेशों में नियुक्त अधिकारियों के त्याग पत्र विदेश नियुक्ति के दौरान स्वीकार किए है ।

क्रमशः — 2

अतः अनुरोध है कि आप अपने से सम्बन्धित अर्द्धसरकारी संस्थानों एवं सभी विभागों को उचित रूप से सामान्य अनुदेश जारी कर दें । जारी किए गए अनुदेशों की कापियां कृपया इस विभाग को सूचनार्थ और रिकार्ड के लिए भिजवायें ।

3/ स्पष्टीकरण के रूप में यहां यह भी बताया जाता है कि भारत सरकार किसी अधिकारी द्वारा स्वेच्छा से रिटायर होने के उसके हक पर कोई रोक नहीं लगा रही है, यदि वह स्वेच्छा से रिटायर होने का पात्र है ।

भवदीय,

हस्ताक्षर- उदय चंद अग्रवाल
स्थापना अधिकारी,
भारत सरकार ।

प्रतिलिपि –

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों को । अनुरोध है कि अपने से संबंधित अर्द्धसरकारी संस्थाओं, पब्लिक सेक्टर निकायों और स्वायत्तशासी निकायों आदि को भी इसी प्रकार की राय दें ।

हस्ताक्षर - जगदीश सागर
उप सचिव , भारत सरकार ।